

AAG-2  
13/3/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2013.

Ganpati Jha. ....Petitioner.

Vrs.

The State of Bihar & others.....Respondents.

Sub: - Suspension (School Service)

INDEX

<u>Sl. No.</u>	<u>Particulars.</u>	<u>Pages.</u>
1.	Petition with affidavit.	1 to 16
2.	Annexure-1. Photo/type copy of order dt. 10.12.12.	— 17 — 18
3.	Annexure-2. Photo/type copy of order dt. 21.2.13.	— 19
4.	Annexure-3. Photo copy of resolution dt. 18.2.10.	— 20 — 22
5.	Annexure-4. Photo copy of letter no. 45 dt. 27.2.10.	— 23
6.	Annexure-5. Photo copy of letter no. 58 dt. 27.4.10.	— 24
7.	Annexure-6. Photo copy of resolution dt. 5.7.12.	— 25 — 26
8.	Annexure-7. Photo copy of resolution dt. 3.9.12.	— 27 — 29
9.	Annexure-8. Photo copy of Inspection Report dt. 21.9.12.	— 30

ii.

10. Annexure-9.  
Photo copy of explanation dt. 28.9.12. — 31
11. Annexure-10.  
Photo copy of resolution dt. 14.12.12. ← 32
12. Annexure-11.  
Photo copy of Memo No. 1668 dt. 21.12.12. ← 33
13. Annexure-12.  
Photo copy of Office Order  
dt. 9.2.13. ← 34
14. Vakalatnama.

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(Civil Writ Jurisdiction)**

**C.W.J.C.No.            of 2013.**

Ganpati Jha.....Petitioner.

**Vrs.**

The State of Bihar & others.....Respondents.

**SYNOPSIS**

That this writ application is directed against the office order contained in Memo No. 24,12 dt. 10.12.12 issued under the signature of the respondent DEO, where by and where under the petitioner has been put under suspension on a wrong and erroneous assumption of fact. The petitioner has been put under suspension barely before a couple of month of his super annulations.

This writ application is also being filed against office order contained in Memo No. 2112 dt. 21.2.13 issued under the signature respondent Distt. Program Officer (DPO) whereby the DPO has been pleased to communicate that the stay of the suspension order has been recalled by order dt.

ii.

21.12.12 is again suspended as per the impugned order dt. 10.12.12.

The application is also being filed for other relief as well. The petitioner has been suspended inter alia on the ground that he complied the direction of the Vidyalaya Siksha Samiti (hereinafter, referred to as the Samiti) to demolished the delopitaded structure of the old school building for safety and to complete the Work within the time. The Samiti which is controlling the affairs of the school constituted under Bihar Elementary School Siksha Samiti act 2007 has the power to issue necessary direction for the safety, security of the students. The Headmaster the petitioner has carried the resolution of the samiti with due intimation of the respondent area Officer. The respondent DEO, due to the reasons best known is upon such an action and shout explanation earlier from the petitioner as to why the dilapidated building was demolished where new building was to be constructed, without the permission of respondent. The petitioner in his show cause in disclosed the resolution of the Samiti where upon the petitioners has put

iii.

under the suspension unreasonably by the impugned order. Against the impugned order the petitioner filed a representation whereupon the commissions order that the suspension order shall remain sustained enquiry is conducted with required to the fact, which was communicated by Memo No. 1668 dt. 21.12.12. Now ever the same has been vacated unreasonably without any enquiry and as such the suspension order of the petitioner has again made operative from dt. 21.2.13 whereas the petitioner is to superannuate w.e.f. 30.6.13.

#### **DATE OF EVENTS.**

**18.2.10.**

**Ann.3:-** Resolution passed by the Respondents.

**27.2.10.**

**Ann.4:-** Letter issued to the DSE, DPC vide letter no. 45.

**27.4.10.**

**Ann.5:-** Letter issued by respondents vide letter no. 58.

**7.5.12.**

**Ann.6:-** Resolution issued by the Respondents.

**3.9.12.**

**Ann.7:-** Resolution issued by respondents for estimate was allotted the Samiti.

21.9.12.

Ann.8-Inspection report vide memo no. 2258.

28.9.12.

Ann.9:-Explanation to the Respondents authority.

10.12.12.

Ann.1:-Order passed in Office order Memo no. 2412.

14.12.12.

Ann.10:-Resolution issued by petitioner's representation.

21.12.12.

Ann.11:-Memo issued by RDDE Vide Memo No. 1668.

9.2.13.

Ann.12:-Office order issued by the RDDE.

21.2.13.

Ann.2:-Order issued by Respondents.

Hence this writ petition.

\*\*\*\*\*

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA**

**(Civil Writ Jurisdiction)**

**C.W.J.C.No.                      of 2013.**

In the matter of an application  
under Article 226 of the  
Constitution of India.

**AND**

In the matter of:

Ganpati Jha, son of Vishnu Deo Jha, resident of village Tema  
Bhela P.S. Gualpara, Distt. Madhepura.

.....Petitioners.

**Vrs.**

1. The State of Bihar through the Principal Secretary  
Department of Education Govt. of Bihar, New Secretariat Bihar  
Patna.

2.

2. The Director, Primary Education, Govt. of Bihar New Secretariat Bihar Patna.
3. The Commissioner Koshi Division Saharsa.
4. The R.D.D.E. Saharsa.
5. The District Education Officer, Madhepura.
6. The District Programme Officer, Madhepura.
7. The Area Education Officer, Bihariganj, Madhepura.
8. The Vidyalaya Siksha Samiti Middle School Bihariganj, Madhepura through its Secretary.

.....Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M.Doshit, the Chief Justice of the Hon'ble High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of  
the petitioner above named.

**Most Respectfully Sheweth:-**

1. That this writ application is directed against the office order contained Memo No. 24.12 dt. 10.12.12 issued



under the signature of the respondent D.E.O, Madhepura where by and where under the petitioner has been put under suspension on a wrong assumption of act. The petitioner has been put under suspension barely before a couple of month of his superannuation.

This writ application is also being filed against office order contained in Memo No. 2112 dt. 21.2.13 issued under the signature of respondent Distt. Program Officer (Establishment) whereby the D.P.O. Madhepura has been pleased to communicate that the stay of the suspension order has been recalled by order dt. 10.12.12 is again suspended as per the impugned order dt. 21.2.13.

The application is also being filed for other relief as well. The petitioner has been suspended inter alia on the ground that he complied the direction of the Vidyalaya Siksha Samiti (here in after, referred to as the Samiti) to demolishe the delopitalad structure of the old school building for safety and to complete the condonation. Work within the time. The Samiti which is controlling the affairs of the school constituted under

4.

Bihar Elementary School Siksha Samiti act 2007 has the power to issue necessary direction for the safety security of the students. The Headmaster the petitioner has carried the resolution of the samiti with due intimation of the respondent area Officer. The respondent DEO, due to the reasons best known is upon such an action and sought explanation earlier from the petitioner as to why the dilapidated building was demolished where new building was to be constructed, without the permission of respondent. The petitioner in his show cause in closed the resolution of the Samiti where upon the petitioner has put under the suspension unreasonably been by the impugned order. Against the impugned order petitioner filed a representation whereupon the commissioner order that the suspension order shall remain sustained enquiry is conducted with required to the fact, which was communicated by Memo No. 1668 dt. 21.12.12. Now ever the same has been vacated unreasonably without any enquiry and as such the suspension order of the petitioner has again made operative from dt. 21.2.13 whereas the petitioner is to supersede w.e.f. 30.6.13.

5.

Photo copy of the order dt. 10.12.12 and 21.2.13 are annexed herewith and marked as Annexure-1 and 2 to this petition.

2. That the petitioner seek indulgence of the this Hon'ble Court for the following relief:-

- (i) The impugned order contained in the memo no. 2412 dt. 10.12.12 (annexure-1) whereby the petitioner has arbitrary been responded on his eye of Super amount can be quashed.
- (ii) The impugned order dt. 9.2.13 issued by the respondent R.D.D.E. as contained in Memo No. 240 dt. 9.2.13 as contained in (annexure-2) whereby the stay of the suspension order dt. 21.12.12 has been local without assigning any reason awaiting the report as per order dt. 21.12.12 be quashed. The respondent be restrained from giving any effect to the impugned suspension order.

6.

(iii) The petitioner be extended any other reliefs for which the petitioner is entitle.

3. That the point of law involve in this writ application falls in a narrow compass to whether the impugned suspension order has been passed in arbitrary manner without considering the fact the petitioner has not committed any error on negligence but has implemented the resolution of the samiti the interest of the students without any financial irregularities and whether the samiti can take a decision to dilapidated structure to construct now building as per the fund allotted for the same and whether impugned order has been passed maliciously solly to victimize the petitioner who is going to superannuated in June barely 4 months left and whether the suspension order is sustain able in eye of law.

4. That the petitioner is citizen of India and at present posted as Headmaster Middle School, Bihariganj.

5. That post of the school Building become dilapidated considering the condition of the said part of the building, the

7.  
samiti in its meeting dt. 18.2.10 resolved to stop the class in that part of the building in order to avoid any accident, in the large interest of the children.

Photo copy of the resolution dt. 18.2.10 with type copy of the relevant extract is Annexure-3 to this petition.

6. That the Samiti further resolve to inform the district and block authority in this regard.

7. That in pursuant to the resolution dt. 18.2.10, the petitioners communicated the same to the DSE, DPC vide his letter no. 45 dt. 27.2.10.

Photo copy of letter no. 45 dt. 27.2.10 is annexed herewith and marked as Annexure-4 to this petition.

8. That the petitioner had also requested the authority to arrange and construct 8 room building in order to continued to the responded classes. Vide his letter no. 58 dt. 27.4.10.

8.

Photo copy of letter no. 58 dt. 27.4.10 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this petition.

9. That the samiti has resolved to demolish the dilapidated building and construct another building there on for the necessary funds were not allotted. The matter was taken up in the meeting of the samiti dt. 5.7.12. And resolve 6 apply to the Sarva Siksha Abhiyan to allot necessary funds for such construct.

Photo Copy of the resolution dt. 5.7.12 with annexed herewith refund expect and marked as Annexure-6 to this petition.

10. That necessary fund, as per estimate was allotted the Samiti in its meeting dt. 3.9.12 to demolish the dilapidated the construction within 15 day @ cost of Rs. 75,000 which shall be adjusted after utilizing the building materials of the demolish, structure, without giving extra financial burden on the School.

The said resolution was communicated to the local authorities including the Area Education. Officer who hereby attended consent.

Photo copy of the resolution with type copy relevant extract as marked herewith and marked as Annexure-7 to this petition.

11. That after the demolition, the respondent DEO inspected the school dt. 14.9.12 made contain queries with regard to day will as also the demolition of the old structure.

12. That copy of the inspection report was communicated to the petitioner vide demo no. 2258 dt. 21.9.12.

Photo copy of the inspection report dt. 21.9.12 is annexed and marked herewith and marked as Annexure-8 to this petition.

13. That the Block Development Officer, Bihariganj issued note memo no. 374 dt. 20.9.12 with regard to demolition of the old building. The matter was taken by the Samiti in its

meeting dt. 21.9.12 whereupon the samiti did not find any irregularity and as such relegated that the decision to demolish the dilapidated structure was taken in the interest of the student children. Unless old structure is demolish there was Hindrance in proceeding with the construction. Safely/security student was paramount consideration of the samiti.

14. That after receiving a copy the inspection report dt. 21.9.12 the petitioner filed explanation vide his letter no. 57 dt. 28.9.12 where in the petitioner explained the reason on declared the no. of student on the said date. The delivers with regard to day will has also been mentioned. The petitioner in his explanation, with regard demolishing the building, explained that the classes where suspended due to as safety major in postulation to the resolution dt. 28.2.10 with due communicate to departmental authorities. The dilapidated structure has been demolished for the construction of building as per the resolution of the samiti and as per the advice of the heirs authority.



11.

Photo Copy of the explain dt. 28.9.12 is annexed herewith and marked as Annexure-9 to this petition.

15. That just 10 day of the said explanation the impugned suspension order has been issued without any memorandum charge or completion of the departmental proceeding.

16. That impugned suspension order has been passed why due to the reasons of demolition of the building where in new students has been constructed upto 2<sup>nd</sup> flour structure is yet to be completed.

17. That against the impugned punishment the petitioner submitted a representation to the respondent commissioner vide his representation dt. 14.12.12 enclosing the resolution.

Photo copy of resolution dt. 14.12.12 is annexed herewith and marked as Annexure-10 to this petition.

18. That on receipt of the representation dt. 17.12.12 the respondent commissioner under that the suspension order shall remain stay till completion of an enquired in this regard, the order of the respondent commissioner was communicated by the respondent R.D.D.E. vide his Memo No. 1668 dt. 21.12.12.

Photo copy of memo no. 1668 dt. 21.12.12 is annexed herewith and marked as Annexure-11 to this petition.

19. That the respondent Distt. Education. Officer (DEO) impression to the order dt. 21.12.12, issued office order to stay the suspension order vide in memo no. 2532 dt. 27.12.12.

20. That the petitioner has been discharging on his duty on the Headmaster of the school.

21. That respondent (R.D.D.E.) vide his office order contained in memo no. 240 dt. 9.2.13 issued office order that the respondent Commissioner has recalled his earlier order to stay the operation of impugned order no reasons has been arises

to recall the stay order in compliance of the order dt. 9.2.13 issued by the r/o R.D.D.E., office order has been issued by the res. D.E.O., under the signature of res. D.P.O. maintaining the respondent order dt. 10.12.13 vide his memo no. 211 dt. 21.2.13.

Photo copy of office order dt. 9.2.13 is annexed herewith and marked as Annexure-12 to this petition.

22. That the impugned suspension order has been passed unreasonably and subsequent order recalling the stay of the respondent order has been passed in a mechanical manner.

23. That, the petitioner has long learn and unblemished service record and is going to superannuate in June 2013.

24. That entire action on the part of the respondent is prompted with an oblique motive and extraneous considerations.

25. That the impugned suspension order has been passed in arbitrary manner without considering the fact.

26. The petitioner has not committed any error on negligence but has implemented the resolution of the samiti.

27. The interest of the students without any financial irregularities.

28. That the samiti can take a decision to dilapidated structure to construct new building as per the fund allotted for the same.

29. That the impugned order has been passed maliciously solely to victimize the petitioner who is going to super annuate in June barely 4 months left.

30. That the suspension under is sustainable in eye of law.

31. That the petitioners have no efficacious and expeditious remedy other than to move this Hon'ble Court in its writ jurisdiction.

32. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier in this matter.

15.

It is, therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to admit this application issue rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the relief as made in paragraph 1 of the writ petition be not granted and on return of the rule and after hearing the parties be pleased to make the rule absolute.

**AND/OR**

Pass such any other order or orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstance of the case.

And for these the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Ganpati Jha, aged about 59 years, son of Vishnu Deo Jha, resident of village Tema Bhela P.S. Gualpara, Distt. Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.

2. That the contents of this petition have been read over to me which I have fully understood the same and they are true to my knowledge.

3. That the statement made in Para nos. 2, 5, 11, 17 to 29 true to my knowledge and the statement made in Para nos. 13, 13/1 — are true to my information derived from the record and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.

4. That Annexures are photo/type copy of their respective originals.

Ganpati Jha

Annexure 1

17

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा

स्थापना शाखा

कार्यालय आदेश

श्री गणपति झा, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय बिहारीगंज के द्वारा कार्यपालक अभियंता सर्व शिक्षा अभियान से बिना अनुमति प्राप्त किये विद्यालय भवन तोड़ने जाने का दोषी पाया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा कारण पृच्छा किया गया था। जो संतोषप्रद नहीं पाया गया। फलस्वरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा के सहमति से श्री झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

बिहार सेवा संहिता की धारा 36 के तहत जीवन यापन भत्ता देय होगा। समस्त अन्य अधिकारों में श्री झा का मुख्यालय प्रकृत शिक्षा पदाधिकारी सुरलीगंज के कार्यालय में निर्धारित की जाती है।

~~अन्य आवश्यक कार्यवाही~~

आरोप पत्र बाद में निर्गत किया जायेगा।

ह0अस्पष्ट

10.12.12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, मधेपुरा।

ज्ञापक 2412

मधेपुरा दिनांक 10.12.12

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा/ संबंधित प्रकृत शिक्षा

पदाधिकारी/संबंधित प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

स्थापना, मधेपुरा

10.12.12

18

-2-

डापांक 2412

मधेपुरा दिनांक 10.12.12

प्रतिलिपि- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा की सेवा  
में सूचनार्थ समर्पित ।

ह0अस्पष्ट

10.12.12

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
॥स्थापना॥ मधेपुरा ।



कार्यालय - जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।  
(स्थापना शाखा)

18

कार्यालय - आदेश

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल सहरसा के आषांक - 240 (मि) दिनांक - 9. 2. 2013 के आदेशानुसार, इस कार्यालय के आषांक - 2532 दिनांक - 27. 12. 12 को सूचना करने हुए, इस कार्यालय के आषांक - 2412 दिनांक - 10. 12. 12 के द्वारा निर्गत श्री जणपति मा, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय बिहारीगंज को निलम्बित किया गया था को पुनः लागू किया जाता है।

इति -

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(स्थापना), मधेपुरा।

आषांक 211 / मधेपुरा, दिनांक - 21. 2. 13

प्रतिष्ठित - स्तम्भधर प्रधानाध्यापक / कौषाणार पदाधिकारी मधेपुरा / प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि श्री मा को पत्राचार के साथ ही मुख्यालय में पंजीयन करने हेतु विराम करें।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
(स्थापना) मधेपुरा  
20. 2. 13

19.

ऐ ने क च र -- 2

कार्यालय:—जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।

स्थापना शाखा

कार्यालय—आदेश

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोशी प्रमंडल सहरसा के ज्ञापांक-240/नि0/ दिनांक- 9.2.2013 के आदेशानुसार इस कार्यालय के ज्ञापांक-2532 दिनांक- 27.12.12 को स्थगित करते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक-2412 दिनांक 10.12.12 के द्वारा निर्गत श्री गणपति झा प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बिहारीगंज को निलम्बित किया गया था को पुनः लागू किया जाता है।

ह./—

जिला कार्यक पदाधिकारी

/स्थापना/मधेपुरा ।

ज्ञापांक-21 /मधेपुरा दिनांक-21.2.13

प्रतिलिपि:—सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । उन्हे निदेश दिया जाता है। कि श्री झा को पत्र प्राप्ति के साथ ही मुख्यालय मे योगदान करने हेतु विरमित करेगे ।

ह./—

जिला कार्यक पदाधिकारी

/स्थापना/मधेपुरा ।



21

की दृष्टि की गई जिस पर तबलों में एक प्रकट किया। जन निर्माण कार्य शक्ति के अभाव में रुका हुआ है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रोत्साहित करने के लिए माँग की जाय।

प्रस्ताव सं. 43 - विद्यालय में जन निर्माण कार्य की दृष्टि की गई जिस पर तबलों में एक प्रकट किया। जन निर्माण कार्य शक्ति के अभाव में रुका हुआ है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए माँग की जाय।

प्रस्ताव सं. 44 - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय कक्षा निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए माँग की जाय। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए माँग की जाय।

प्रस्ताव सं. 45 - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय कक्षा निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए माँग की जाय।

के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव

तथा वे क्षतिग्रस्त हो चुका है और अफवाहें फैली हैं  
की जिले की कार्यवाही बनी रहती है जलन के अभाव  
में क्षतिग्रस्त भवन में भी कार्य कक्षा चलाया जा रहा है।  
वर्षा के पूर्ववर्ती ले निर्णय लेती है कि उप क्षतिग्रस्त  
भवन को तौड़कर आठ नये कक्षों का प्रकल्प आवंटित  
करके देहू जिला शिक्षा अधीनस्थ, मधेपुरा को पत्र  
द्वारा लिखा जाय।

संस्थाओं को  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव

प्रस्ताव क्र-05 - पूर्ववर्ती ले निर्णय लिखा गया कि क्षति-  
ग्रस्त भवन में कार्य कार्यवाही को बंद कर दिया जाय  
क्योंकि बच्चों के साथ कार्य की बड़ी दुर्घटना घट सकती  
है। उपकी छूटता क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अफिगंज,  
प्रत्यक्ष शिक्षा पदाधिकारी, सिद्दीगंज से भी दिया जाय है।  
माननीय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को भी इतकी छूटता दी जाय।

के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव  
के अभाव

प्रस्ताव क्र-06 - पूर्ववर्ती ले निर्णय के अभाव  
को कार्यवाही की गई। जलन निर्णय कार्य प्रगति पर  
है, मधेपुरा को जलन सुचारु रूप से कार्यवाही किया जा  
रहा है इस पर बच्चों के अभाव प्रकट किया।

प्रस्ताव क्र-07 - अभाव बंद है।

Binnagram Ltd.  
अध्यक्ष 18.2.2018  
विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय, सिद्दीगंज (मधेपुरा)

इलेकट्रॉनिक्स देवी  
सचिव  
विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय सिद्दीगंज  
(मधेपुरा)

प्रधानाध्यापक  
मध्य विद्यालय सिद्दीगंज  
मधेपुरा

कि नपनि  
न जो पूरी

20.

ऐ ने क च र — 3

बैठक सं०—18

आज दिनांक— 18.2.2010 को म०वि० बिहारीगंज के प्रागण मे विभिन्न बिन्दुओ पर वि०शि०स० सदस्यो की एक विशेष बैठक 11 बजे पूर्वाहन मे वि०शि० स० के अध्यक्ष श्री प्रियतम दास की अध्यक्षता मे की गई जिसमे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए ।

ह./—प्रियतम दास

अध्यक्ष

विद्यालय शिक्षा समिति

मध्य विद्यालय बिहारीगंज

मधेपुरा ।

1. गणपित झा
2. प्रियतम दास
3. रूकमणी देवी
4. ह./—अस्पष्ट
5. सुनैना देवी
6. रंजित रिसिदेव
7. अंगूठे का निशान लीला देवी
8. मीना देवी
9. संदीप कुमार

प्रस्ताव सं०—01 गत बैठक की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं०—02 विद्यालय मे चल रहे भवन निर्माण कार्य

की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया। भवन निर्माण कार्य राशि के अभाव में रूका हुआ है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को राशि आवंटन के लिए मांग की जाय।

**प्रस्ताव सं०-०३** विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया। उच्च प्राथमिक कक्षा के मध्याह्न भोजन संचालन हेतु राशि की कमी को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राशि आवंटन हेतु उच्च पदाधिकारी से मांग की जाय।

**प्रस्ताव सं०-०४** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्व शिक्षा अभियान मधेपुरा से विद्यालय विकास मरम्मत रखरखाव एवं टी.एल.एम० मद में 19000-00 /उन्नीस हजार रू०/ आवंटित राशि की निकासी कर टीएलएम की राशि को सभी शिक्षकों के बीच 500 रू० की दर से वितरित किया गया। चूंकि विद्यालय परिसर में अधिक जल जमाव हो जाता है। जिसके फलस्वरूप पठन पाठन का कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलाने में कठिनाई होती है। इसलिए समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। कि टीएलएम के अतिरिक्त शेष अनुदान की राशि से विद्यालय परिसर में मिट्टी भराई का कार्य सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए समिति सर्वसम्मति से प्रधानाध्यापक को अधिकृत करती है।

**प्रस्ताव सं०-०४** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि म०वि० बिहारीगंज परिसर में पूर्व से निर्मित मकान जो पूरी

तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसका छत कभी भी गिरने की सम्भावना बनी रहती है। भवन के अभाव में क्षतिग्रस्त भवन में भी वर्ग कक्ष चलाया जा रहा है। समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि उस क्षतिग्रस्त भवन को तोड़कर आठ नये कमरे का मकान आवंटित करने हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा को पत्र द्वारा लिखा जाय ।

**प्रस्ताव सं०-5** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षतिग्रस्त भवन में वर्ग संचालन को बन्द कर दिया जाय क्योंकि बच्चों के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसकी सूचना क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी उदाकिशुनगंज प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारगंज को भी दिया जाय एवं माननीय जिला पदाधिकारी मधेपुरा को भी इसकी सूचना दी जाय ।

प्रस्ताव सं०-06-सर्वसम्मति से विद्यालय के आय-व्यय की समीक्षा की गई। भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है मध्याह्न भोजन सुचारु रूप से संचालन किया जा रहा है इस पर सबों ने संतोष प्रकट किया ।

प्रस्ताव सं०-07-अन्यान्य कुछ नहीं ।

ह./-अस्पष्ट  
18.2.10

ह./-अस्पष्ट



दिनांक 17.02.10

सेवा में,

प्रधानाध्यापक,  
मध्य विद्यालय विहारीगंज

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक  
-सह-

जिला कार्यक्रम समन्वयक, मधेपुरा

विहारीगंज, दिनांक 17 फरवरी 2010

विषय: भवन आवंटित करने के संबंध में ।

क्याशय:

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में अंकित कर कटना है कि मध्य विद्यालय विहारीगंज के पुराने भवन का बार कमरा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, छत का कुछ भाग टूटकर गिर रहा है । दिवाल की स्थिति भी जर्जर है । किसी भी समय छान्न एवं शिक्षक छत गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं । दिनांक 18.02.2010 की विद्यालय शिक्षा समिति मध्य विद्यालय विहारीगंज की बैठक में उक्त भवन में पठन-पाठन के कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्णय लिया गया । उक्तकी सूचना क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जवाकेशुनगंज, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विहारीगंज तथा माननीय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को देने हेतु प्रधानाध्यापक को विदेश दिया गया । दिनांक 18.02.2010 की बैठक में पारित प्रस्ताव की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न है ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन

प्रधानाध्यापक

मो वि० विहारीगंज ।

प्रतिनिधि: माननीय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जवाकेशुनगंज / प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विहारीगंज को सूचनार्थ समर्पित ।

प्रेषक

प्रधानाध्यापक

मध्य विद्यालय बिहारीगंज

सेवा मे

जिला शिक्षा अधीक्षक

सह

जिला कार्यक्रम समन्वयक मधेपुरा ।

बिहारीगंज दिनांक- 27 फरवरी 2010

विषय :- भवन आवंटित करने के संबंध मे ।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे अंकित कर कहना है कि मध्य विद्यालय बिहारीगंज के पुराने भवन का चार कमरा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया छत का कुछ भाग टूटकर गिर रहा है। दिवाल की स्थिति भी जर्जर है। किसी भी समय छात्र एवं शिक्षक छत गिरने से दुर्घटना ग्रस्त हो सकते है। दिनांक- 18.2.2010 की विद्यालय शिक्षा समिति मध्य विद्यालय बिहारीगंज की बैठक मे उक्त भवन मे पठन-पाठन के कार्यक्रम को स्थगित करने तथा नये भवन आवंटित करने हेतु श्रीमान को सूचित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया । इसकी सूचना क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी उदाकिशुनगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज तथा माननीय जिला पदाधिकारी मधेपुरा को देने हेतु प्रधानाध्यापकको निदेश दिया गया । दिनांक- 18.2.2010 की बैठक मे पारित प्रस्ताव की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

प्रधानाध्यापक

म0वि0 बिहारीगंज ।

प्रतिलिपि:- माननीय जिला पदाधिकारी मधेपुरा/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी उदाकिशुनगंज/प्रखंड पदाधिकारी बिहारीगंज को सूचनार्थ समर्पित ।

प्रेषक :- प्रधानाचार्य  
मध्य विद्यालय विद्यार्थीगर्ज

शैवा में,  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मध्यपुर

विद्यार्थीगर्ज, दिनांक-21 अप्रैल 2010

विषय :- म.वि. विद्यार्थीगर्ज में आठ कमरे का जवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।

प्रशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में निवेदन है कि म.वि. विद्यार्थीगर्ज का पुश्ता जवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप इसमें पहल-पाहल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। किसी भी समय इस विद्यालय की पूर्ण संभाला करी रहती है। इसी संदर्भ में फाईल नं- 45 दिनांक- 27 फरवरी 2010 के द्वारा श्री मात जी द्वारा भी दी गई है। जो पत्र क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, उदाकिशुनगर्ज द्वारा अनुशंसित है। जवन की कमी तथा छात्रों की संख्या अत्यधिक रहने के कारण विद्यालय संचालन करने में कठिनाई हो रही है। अतः श्री मात से प्रार्थना है कि

अपने हस्तर से जांच कर म.वि. विद्यार्थीगर्ज में आठ कमरे का जवन आवंटित करने की कृपा की जाय।

सूचना एवं आश्चर्यक कार्याय समर्पित।

अनुलग्नक :- फाईल-45 दि. 27.2.10 की  
प्रतिया।

विश्वासराज

प्रधानाचार्य  
म.वि. विद्यार्थीगर्ज

प्रतिलिपि :- प्रादेशिक जिला पदाधिकारी, मध्यपुर के  
सूचना एवं आश्चर्यक कार्याय समर्पित।

24.

ऐ ने व च र- 5

पत्रांक- 58

प्रेषक

प्रधानाध्यापक

मध्य विद्यालय बिहारीगंज

सेवा मे

जिला शिक्षा अधीक्षक

मधेपुरा ।

बिहारीगंज दिनांक- 27 अप्रील 2010

विषय:- म0वि0 बिहारीगंज मे आठ कमरे का भवन आवंटित करने के सम्बन्ध मे ।

महाशय

उपर्युक्त विषयक संदर्भ मे निवेदन है कि म0वि0 बिहारीगंज का पुराना भवन पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो जाने के फलस्वरूप उसमे पठन-पाठन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। किसी भी समय छत गिरने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। उसकी सूचना पत्रांक- 45 दिनांक-27 फरवरी 2010 के द्वारा श्रीमान को पूर्व मे दी गई है। जो पत्र क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी उदाकिशुनगंज द्वारा अनुसंसित है। भवन की कमी तथा छात्रो की संख्या अत्यधिक रहने के कारण विद्यालय संचालन करने मे कठिनाई हो रही है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपने स्तर से जांच कर म0वि0 बिहारीगंज मे आठ कमरे का भवन आवंटित करने की कृपा की जाय ।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ समर्पित ।

विश्वासभाजन

ह./-

प्रधानाध्यापक

म0वि0 बिहारीगंज

अनुलग्नक:- पत्रांक-45 दिनांक- 27.2.2010 की छायाप्रति ।

प्रतिलिपि:- माननीय जिला पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ समर्पित ।

आज दिनांक - 05. 07. 2012 को  
मध्य विद्यालय बिहारीगंज के प्रांगण में विभिन्न  
विद्युतों पर तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति, मण्डल  
बिहारीगंज की बैठक 10 बजे पूर्वार्ध में समिति  
के अध्यक्ष श्री मती लीला देवी की अध्यक्षता में की  
गई, जिसमें निम्नलिखित एकात्मक उपस्थित हुए।

लीला देवी

अध्यक्ष

विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय, बिहारीगंज (मधेपुरा)

01. Gajapati, 12. 7. 12

02. लीला देवी

03. उमारी बिभा

04. रीता देवी

05. स्वीटी सिन्हा

06. सुनीता शर्मा

प्रस्ताव सं - 01 - आज बैठक की सम्युक्ति निर्णय।

प्रस्ताव सं - 02 - सर्वप्रथम विद्यालय के औद्योगिक विद्युतों  
पर समीक्षा की गई, जिस पर सबों ने संतोष  
प्रकट किया।

प्रस्ताव सं - 03 - मध्याह्न शोजन शोजना के आय-व्यय  
की समीक्षा की गई जिस पर सबों ने संतोष  
प्रकट किया।

25.

ऐ ने क च र - 6

बैठक सं०-०५

दिनांक-

आज दिनांक- 5.7.2012 को मध्य विद्यालय बिहारीगंज के प्रांगण मे विभिन्न बिन्दुओ पर तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति म०वि० बिहारीगंज की बैठक 10 बजे पूर्वाह्न मे समिति के अध्यक्ष श्रीमती लीला देवी की अध्यक्षता मे की गई जिनमे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए ।

लीला देवी

अध्यक्ष

विद्यालय समिति

मध्य विद्यालय बिहारीगंज

मधेपुरा ।

1. गणपति झा
2. लीला देवी
3. कुमारी विभा
4. रीता देवी
5. स्वीटी सिंह
6. सुनीता शर्मा

**प्रस्ताव सं०-०१-**गत बैठक की सम्पुष्टि की गई ।

**प्रस्ताव सं०-०२-** सर्वप्रथम विद्यालय के शैक्षणिक बिन्दुओ पर समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया ।

**प्रस्ताव सं०-०३** माधह्न भोजन योजना के आय-व्यय की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया ।

**प्रस्ताव सं०-04** मुख्यमंत्री पोशाक योजना की राशि जिले से आवंटित की गई है जिसमे वर्ष 2010-11 मे नामांकित कुल वर्ग 3 से 5 के कुल बच्चो की सं०-224 मे से 200 बच्चो का राशि प्राप्त हुआ है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जिन बच्चो की उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक है उन्हे राशि दी जाय राशि की कमी होने पर पुनः विभाग से राशि की मांग की जाय। राशि वितरण हेतु बैंक से राशि निकासी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया।

**प्रस्ताव संख्या-05-** मध्याह्न भोजन सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार राशि निकासी का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव सं०-06-**शौचालय निर्माण की प्रथम किश्त की आवंटित राशि का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य को पूर्ण करने के लिए विभाग से राशि मांग करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव सं०-07-** पूर्व से बी.आर.सी. से सटे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर नया मकान बनाने का निर्णय विद्यालय शिक्षा समिति की दिनांक 9.11.2009 एवं दिनांक- 18.2.10 की बैठक मे लिया गया था। पुनः समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर नया भवन शीघ्र बनाने हेतु सर्व शिक्षा मे आवेदन दिया जाय तथा इस कार्य को पूरा किया जाय।

ह./-गणपति झा  
प्रधानाध्यापक

ह./-कुमारी विभा  
सचिव

ह./-लीला देवी  
अध्यक्ष

की राशि  
वर्ष 2010-  
कन्वो  
का राशि  
जाया कि  
नै बैंक  
होने पर  
जाय। राशि  
का सर्वसमिति

आज दिनांक - 03.09.2012 को  
मध्य विद्यालय विहारीगंज के प्रांगण में विभिन्न  
बिदुओं पर तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति, म०वि०  
विहारीगंज की बैंक 10 बने बूक में समिति के  
अध्यक्ष श्री मती लीला देवी की अध्यक्षता में की गई  
जिसमें निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।

लीला देवी  
अध्यक्ष  
विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय, विहारीगंज (सबपुरा)

के अध्यक्ष  
सर्वसमिति  
किशत की  
न है।  
के राशि

01. Sampat Singh
02. लीला देवी
03. गीता देवी
04. कुमारी विभा
05. सुनीता शर्मा
- 06.

लिखा गया।  
व्यय से क्षति-  
निर्णय किया-  
2.10 की बैंक  
निर्णय लेती हैं  
बनाने हेतु  
के पूरा किया

प्रस्ताव क्र०-01 - आज बैंक की व्यय की गई।  
प्रस्ताव क्र०-02 - सर्वप्रथम विद्यालय के शैक्षिक प्रगति  
की समीक्षा की गई जिस पर व्ययों में व्यतीत  
प्रकट किया।  
प्रस्ताव क्र०-03 - विद्यालय में चल रहे मध्याह्न भोजन  
योजना की गई समीक्षा की गई जिस पर व्ययों  
में व्यतीत प्रकट किया। मध्याह्न भोजन योजना में  
अध्यक्षों ने आय- व्यय की राशि समीक्षा कर  
अनुमोदन किया गया।

श्री लीला देवी  
का समिति  
अध्यक्ष (सबपुरा)



अपण प्रद  
न के साथ  
ह का  
व्यक्ति की

को विकसित कर ईट, लिफ्ट, बालू, गिट्टी, दूध  
आदि का क्रय कर शीघ्र भवन निर्माण के कार्य  
को शुरु करेंगे।

- नें अच्छे  
- छात्रों की  
भावकों से

प्रस्ताव क्र- 07 - वन विभाग से प्राप्त राशि को विकसित  
कर शीघ्र छात्र छात्राओं के बीच 100/- (एक सौ)  
रुपये की दर से वितरण करने का कार्यक्रम से  
निर्णय लिया गया।

क्षेत्र की तरफ  
को लेकर  
से का निर्णय

प्रस्ताव क्र- 08 - अहम में बैंक की कार्यवाही समाप्त  
की गई।

- बैंकों से  
गः (लिया गया)  
दिए हुआ  
लेते हैं कि

उत्तरी विभाग  
आदि  
विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय विहार (मधुपुर)

- अहम  
य। छात्राध्य  
नौ पंचदश  
ने व्यय कि  
के भवन के  
य।

गया गया कि  
अहम तय  
से। व्यक्ति  
ग करेंगी।  
विद्यालय  
की राशि

आज दिनांक- 3.9.2012 को मध्य विद्यालय बिहारीगंज के प्रांगण मे विभिन्न बिन्दुओ एवं तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति म0वि0 बिहारीगंज की बैठक 10 बजे पूर्वाह्न मे समिति के अध्यक्ष रीमती लीला देवी अध्यक्षता मे की गई जिनमे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए ।

ह./-लीला देवी

अध्यक्ष

विद्यालय शिक्षा समिति

मध्य विद्यालय बिहारीगंज

मधेपुरा ।

1. गणपति झा
2. लीला देवी
3. रीता देवी
4. कुमारी बिभा
5. सुनीता शर्मा
- 6.

प्रस्ताव सं0-01 गत बैठक की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं0-02 सर्वप्रथम विद्यालय के शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया ।

प्रस्ताव सं0-03- विद्यालय मे चल रहे मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया । मध्याह्न भोजन योजना सं0 अन्य मदो मे आय-व्यय की राशि समीक्षा कर अनुमोदन किया गया ।

**प्रस्ताव सं०-04-** वर्ष 2012 -13 में परिभ्रमण मद में आवंटित राशि से वर्ग अष्टम के छात्र/छात्राओं को भागलपुर स्थित कृष्याघाट का परिभ्रमण कराने का विचार बना। समिति की ओर से निर्णय लिया गया कि वर्ग में अच्छे प्रदर्शन एवं नियमित उपस्थिति वाले छात्रों को परिभ्रमण मंजूर होने हेतु उनके अभिभावकों से सहमति पत्र लिखा जाय।

**प्रस्ताव सं०-05-** विद्यालय में पूरब तथा दक्षिण की तरफ के पूर्णतः क्षतिग्रस्त दो कमरे के भवन को तोड़कर नये चार कमरे के भवन के निर्माण करने का निर्णय पूर्व में विद्यालय शिक्षा समिति के कई बैठकों में लिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान को लिखा गया। विद्यालय को चार कमरे का भवन आवंटित हुआ है। भवन को तोड़कर पन्द्रह दिनों के अंदर नये भवन का कार्य प्रारम्भ किया जाय। क्षतिग्रस्त भवन को तोड़ने में लगभग 75000/- /पचहत्तर हजार रुपये/ लगेंगे जो प्राप्त राशि से व्यय किया जाय तथा इतनी राशि के बराबर पुराने भवन के समाना कोनये भवन में लगाया जाय।

**प्रस्ताव सं०-06-** सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सरकारी नियमानुसार चार महीने के अन्दर नये भवन का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। समिति प्रधानाध्यापक को हर तरह से सहयोग करेगी। प्रधानाध्यापक सचिव की सहायकता से विद्यालय विकास कोष से भवन निर्माण मद की राशि

को निकाल कर ईट सिमेन्ट बालू गिट्टी छड आदि का क्रय कर शीघ्र भवन निर्माण केकार्य को शुरू करेंगे।

**प्रस्ताव सं०-07-** बन विभाग से प्राप्त राशि को निकाल कर शीघ्र छात्र/छात्राओं के बीच 100/-/एक सौ/ रुपये की दर से वितरण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव सं०-08** -अन्त में बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./-गणपति झा  
प्रधानाध्यापक

ह./-कुमारी विभा  
सचिव

ह./-लीला देवी  
अध्यक्ष

बैंक क्वै - 07

भाज दिनांक - 22.09.2012 को  
 मध्य विद्यालय बिहारीगंज के प्रांगण में विभिन्न  
 विदुषों पर मध्य विद्यालय शिक्षा समिति, मणिके  
 बिहारीगंज की बैंक 108 बजे पूर्वाह्न में समिति के  
 अध्यक्ष श्री मनी लीला देवी की अध्यक्षता में की  
 गई, जिसे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।

लीला देवी  
 अध्यक्ष 21.9.12  
 विद्यालय शिक्षा समिति  
 मध्य विद्यालय, बिहारीगंज (मणिके)

01. ...
02. ...
03. ...
- 04.
- 05.
- 06.

प्रस्ताव क्र-01 - जल बैंक की वसुधि की गई।

प्रस्ताव क्र-02 - सर्वप्रथम विद्यालय के शैक्षणिक  
 प्रगति की समीक्षा की गई जिन पर सर्वो  
 ते संतोष प्रकट किया।

प्रस्ताव क्र-03 - विद्यालय में चल रहे मध्यम  
 योजना की समीक्षा की गई प्राथमिक कक्षा में  
 राशि की कमी से विभाग को अवगत कराते  
 प्रधानाध्यापक महोदय को कहा गया।

बेकारी, विधायक  
 2012 का  
 प्र के पुराने  
 नये नवन  
 के पुराने नवन  
 के क्षतिग्रस्त  
 न आवंटन

किया जाय तथा योगदान स्वीकृत किया जाय, लेकिन  
 स्थायक किसान प्रशिक्षित के लिए वह ले कसा स्थायक  
 प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन सुगमता करने के लक्ष्य  
 में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधुपुरा से मार्गदर्श  
 प्राप्त कर ही प्रधानाध्यापक इनके वेतन सुगमता की  
 प्रक्रिया शुरू करेंगे।

की क्षतिग्रस्त  
 गया था।  
 मौलिक शोध  
 बढ़ था।  
 तदर्थ वि  
 वे 65 में  
 नवन को  
 नवन बनाते  
 अर्द्ध नवन

प्रधानाध्यापक - 66 - जिले में अनुवाद आपन के साथ बैंक की  
 कार्यवाही प्राप्त की गई।

प्रधानाध्यापक  
 मधुपुरा  
 विद्यालय  
 मधुपुरा

तीन दिनों  
 अध्यक्ष  
 विद्यालय शिक्षक संघ  
 मधुपुरा

वि. म. वि.  
 कार्यक्रम  
 1861 वि.  
 विद्यार्थी संघ  
 हुआ है  
 दि. 12  
 20. 09. 12  
 है। किया  
 प्रति सर्वप्रथम  
 का अनुपालन

30.  
ऐ ने क च र - 8  
बैठक सं०-०७

आज दिनांक- 22.9.2012 को मध्य विद्यालय बिहारीगंज के प्रांगण मे विभिन्न बिन्दुओ पर तदर्थ विद्यालय शिक्षा समिति म०वि० बिहारीगंज की बैठक 10 बजे पूर्वाह्न मे समिति के अध्यक्ष श्रीमती लीला देवी की अध्यक्षता मे की गई जिनमे निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए।

ह./-लीला देवी  
अध्यक्ष  
विद्यालय शिक्षा समिति  
मध्य विद्यालय बिहारीगंज  
मधेपुरा ।

1. गणपति झा
2. लीला देवी
3. रीता देवी
4. कुमारी बिभा
5. सुनीता शर्मा
- 6.

प्रस्ताव सं०-०१ गत बैठक की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं०-०२ सर्वप्रथम विद्यालय के शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा की गई जिस पर सबो ने संतोष प्रकट किया ।

प्रस्ताव सं०-०३- विद्यालय मे चल रहे मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा की गई प्राथमिक कक्षा मे राशि की कमी से विभाग को अवगत कराने हेतु प्राधानाध्यापक महोदय को कहा गया ।

**प्रस्ताव सं०-04** प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज के ज्ञापांक- 374 दिनांक- 20 सितम्बर 2012 का अवलोकन किया गया जो विद्यालय के पुराने जर्जन क्षतिग्रस्त भवन को तोडकर नये भवन बनाने के संबंध मे। विद्यालय मे पुराने भवन को दीवार तथा छत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त था। इसको तोडकर नये भवन का आवंटन प्राप्त कर बनाने के संबंध मे पूर्व की समिति की कई बैठको मे निर्णय लिया गया था। भवन मे विभागीय पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार पठन-पाठन कार्य कई वर्षो से बन्द था। इसलिए विद्यालय के हित मे वर्तमान तदर्थ वि० शिक्षा समिति भी दिनांक- 21.10.201 की बैठक मे सर्वसम्मति से निर्णय लेकर क्षतिग्रस्त भवन को तोडकर नये चार कमरे का आवंटित भवन बनाने का निर्णय ली है तथा समय-सीमा के अंदर भवन निर्माण के कार्य को पूर्ण करना है।

**प्रस्ताव सं०-05-** श्री मनोज कुमार स०शि०म०वि० मोहनपुर चौमुख का पदस्थापन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी /स्थापना/मधेपुरा के ज्ञापांक- 1861 दिनांक- 31.8.2012 के आदेशानुसार म०वि० बिहारीगंज मे स्नातक प्रशिक्षित के रिक्त पद पर हुआ है । तथा ये प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बिहारीगंज के ज्ञापांक- 370 दिनांक- 20.9.2012 के आदेशानुसार म०वि० बिहारीगंज मे योगदान हेतु दिनांक-20.9.2012 के अपराहन मे विरमित किये गये है। विद्यालय मे विज्ञापन स्नातक का पद रिक्त है। समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है। कि विभागीय आदेश का अनुपालन



किया जाय तथा योगदान स्वीकृत किया जाय लेकिन स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित के रिक्त पद से कला स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन भुगतान करने के संबंध मे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मधेपुरा से मार्गदर्शन प्राप्त कर ही प्रधानाध्यापक इनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगे ।

**प्रस्ताव सं०-06-** अन्त मे धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

ह./-गणपति झा  
प्रधानाध्यापक

ह./-कुमारी विभा  
सचिव

ह./-लीला देवी  
अध्यक्ष



## ऐ ने व च र - 9

प्रेषक

प्रधानाध्यापक म0वि0 बिहारीगंज अंचल बिहारीगंज  
सेवा मे

जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा ।

विषय:-श्रीमान का ज्ञापांक- 2258 दिनांक 21.9.2012 के आलोक मे स्पष्टीकरण  
देने के सम्बन्ध मे ।

बिहारीगंज दिनांक- 28.9.2012

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे मेरा स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:-

1. दिनांक- 14.9.2012 को श्रीमान के द्वारा निरीक्षण के क्रम मे छात्रो की उपस्थिति कम रहने का कारण यह था कि शुक्रवार के दिन मुसलमान छात्र कम उपस्थित रहते है। विद्यालय मे मुसलमान छात्रो की संख्या अधिक है। छात्रोपस्थिति बढ़ाने के लिये प्र0अ0 तथा अन्य शिक्षको के द्वारा अभिभावको से लगातार सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

2. भंडार मे चार विंटल चावल कम था जो साधन सेवी निरंजन मिश्र के द्वारा प्राथमिक विद्यालय मिन्ना टोला को दिया गया था। जो निरज मिश्र साधन सेवी के द्वारा श्रीमान के समाने मे म0वि0 बिहारीगंज के मध्याह्न भोजन पंजी मे अंकित कर दिया गया था।

3. विद्यालय का भवन वर्षो से क्षतिग्रस्त था। जिसमे शिक्षा समिति मध्य विद्यालय बिहारीगंज तथा विभागीय पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार पठन-पाठन का कार्यक्रम स्थापित था। भवन को तोडकर नये भवन बनाने के सम्बन्ध मे शिक्षा समिति की कई बैठको मे निर्णय लेकर विभाग को लिखा जा रहा था। क्षेत्र शिक्षा पदा0 उदाकिशुनगंज के द्वारा अनुशंसित आवेदन -पत्र भी पूर्व मे दिया गया था। शिक्षा समिति के द्वारा निर्णय लेकर भवन को विद्यालय के हित मे तोडकर नयेभवन बनाने के सम्बन्ध मे उच्चाधिकारी के द्वारा भी मौखिक सलाह दिया जा रहा था। इस आशय का प्रमाण इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

4. परिभ्रमण मे सभी छात्रो को ले जाना सम्भव नही था। परिभ्रमण मे जाने से वंचित छात्रो मे दूसरे के बहकावे मे आकर श्रीमान को मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से नही चलाने तथा रूटीन के अनुसार पठन-पाठन के कार्यक्रम को नही चलाने के सम्बन्ध मे लिखा था। जबकि सच्चाई यह है कि उक्त कार्यक्रमो को सरकारी नियमानुसार चलाया जाता है। साक्ष्य के रूप मे शिक्षा समितियो के द्वारा पारित प्रस्ताव की छाया प्रति संलग्न किया जाता है। अष्टम वर्ग के छात्रो के द्वारा श्रीमान को दिये गये आवेदन पत्र की मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न किया जाता है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मुझे आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह./-अस्पष्ट

प्र0अ0म0वि0 बिहारीगंज मधेपुरा ।

सेवा में,

आयुक्त महोदय

कोशी प्रमण्डल, सहरसा ।

विषय :- जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुपुरा द्वारा जबरन निलम्बित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि माध्य विद्यालय बिहारीगंज अंचल बिहारीगंज में दो कमरे का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त था । विद्यालय शिक्षा समिति माध्य विद्यालय बिहारीगंज की कई बैठकों में क्षतिग्रस्त भवन को तोड़कर चार कमरे का नया भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इस सम्बन्ध में कई बार विभाग को लिखेपर चार कमरे का भवन आवंटित हुआ । जिला शिक्षा पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ । इस सम्बन्ध में विद्यालय शिक्षा-समिति 30 वि० बिहारीगंज से जानकारी प्राप्त की जा सकती है । जैसी भी भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ उन्होंने मुझे एक लाख रुपये की मांग करने लगे । रिश्वत नहीं देने पर उन्होंने मुझे जबरन निलम्बित कर दिया । विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकों में पारित प्रस्तावों की आयापनित तथा निलम्बन आटे । इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न है ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि अपने स्तर से इसकी जांच कराकर निलम्बन आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय । जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक मुझे निलम्बन से मुक्त रखा जाय ।

विश्वासभाजन

21/11/12

14/12/12

गणपति झा

निलम्बित 90 अ० 30 म० वि० बिहारीगंज

अंचल - बिहारीगंज

जिला - मधुपुरा

सेवा मे

आयुक्त महोदय

कोशी प्रमण्डल सहरसा।

विषय:- जिला शिक्षा पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा जबरन निलम्बित करने के सम्बन्ध मे।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे निवेदन है कि मध्य विद्यालय बिहारीगंज अंचल बिहारीगंज मे दो कमरे का भवन पूर्णतः क्षतिग्रस्त था। विद्यालय शिक्षा समिति मध्य विद्यालय बिहारीगंज की कई बैठको मे क्षतिग्रस्त भवन को तोडकर चार कमरे का नया भवन का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। इस संबंध मे कई बार विभाग को लिखने पर चार कमरे का भवन आवंटित हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी के मौखिक आदेशानुसार भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ। इस सम्बन्ध मे विद्यालय शिक्षा समिति म0वि0 बिहारीगंज से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे ही भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ हुआ उन्होने मुझे एक लाख रूपये की मांग करने लगे। रिश्वत नही देने पर उन्होने मुझे जबरन निलम्बित कर दिये। विद्यालय शाखा समिति की बैठको मे पारित प्रस्तावो की छायाप्रति तथा निलम्बर आदेश इस आवेदनपत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपेन स्तर से इसकी जांच कराकर निलम्बन आदेश को रद्द करने की कृपा की जाय। जबतक जांच प्रकिया पूरी नही होती है। तबतक मुझे निलम्बन से मुक्त रखा जाय।

विश्वासभाजन

ह./-गणपति झा

निलम्बित प्र0अ0म0वि0 बिहारीगंज ।

अंचल-बिहारीगंज

जिला-मधेपुरा ।

Gangadhar

पत्रांक \_\_\_\_\_

प्रेषक,

प्रकाश रंजन कुमार,  
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,  
कोशी प्रमण्डल, महरणा ।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी {स्था0}  
मधेपुरा ।

महत्सा, दिनांक-

विषय:- आपके कार्यालय द्वारा दिनांक-24.12.12 का कार्यान्वयन आदेश तत्काल स्थगित करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय आपके कार्यालय द्वारा दिनांक-10.12.12 द्वारा श्री गणपति झा प्रधानाध्यापक मध्य वि० विहारगंज अंचल-विहारगंज मधेपुरा को निर्दिष्ट किये जाने के फलस्वरूप श्री झा के द्वारा समर्पित अत्यावेदन पर आपुक्त महोदय कोशी प्रमण्डल, महरणा द्वारा दिये गये आदेश कि " वस्तुस्थिति का जाँच कर प्रतिवेदन प्राप्त होने तक निर्लेख संबंधी आदेश स्थगित किया जाता है" के अनुपालन में आपके द्वारा दिये गये उक्त आदेश का कार्यान्वयन तत्काल स्थगित रहेगा ।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन पुनर्निश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन से अधीनस्थानों को अवगत कराया जाय ताकि आपुक्त महोदय को सूचित किया जा सके ।

विश्वासभाजन,

६०

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,  
कोशी प्रमण्डल, महरणा ।

द्वारा दिनांक 16/8/13 महरणा, दिनांक- 21/12/12

प्रतिलिपि: श्री गणपति झा प्रधानाध्यापक म०वि० विहारगंज अंचल विहारी गंज/ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विहारगंज मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,  
कोशी प्रमण्डल, महरणा ।  
21/12/12

कार्यालय - क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा

कार्यालय-आदेश

श्री गणपति झा, प्रधानाध्यापक, माध्यम विद्यालय विहारीगंज, अंचल विहारीगंज (मधेपुरा) के विद्यार्थी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश 1668(नि0) दिनांक 21.12.12 द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश को जायकेत महीदय कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा वापस लेन की वृत्त की गई है।

निदेशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा विधिवत आगे की कार्यवाही शीघ्र चूरी करे।

[Handwritten signature]

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

सहरसा, दिनांक 12/12/2013

आदेश के अन्तर्गत श्री गणपति झा, प्रधानाध्यापक, माध्यम विद्यालय विहारीगंज, अंचल विहारीगंज (मधेपुरा) के विद्यार्थी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश 1668(नि0) दिनांक 21.12.12 द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश को जायकेत महीदय कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा वापस लेन की वृत्त की गई है।

[Handwritten signature]  
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

[Handwritten signature]

आदेश के अन्तर्गत श्री गणपति झा, प्रधानाध्यापक, माध्यम विद्यालय विहारीगंज, अंचल विहारीगंज (मधेपुरा) के विद्यार्थी के विरुद्ध इस कार्यालय के आदेश 1668(नि0) दिनांक 21.12.12 द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश को जायकेत महीदय कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा वापस लेन की वृत्त की गई है।

[Handwritten signature]  
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक  
कोशी प्रमंडल, सहरसा

प्रस्ताव क्र०-०५ - मुख्यमंत्री पौष्टिक योजना की राशि जिसे ये आवंटित की गई है, जिले वर्ष २०१०-११ में गणना कुल की ३६६८ के कुल बच्चों की लिए - २२५ में से २०० बच्चों का राशि प्राप्त हुआ है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम जिन बच्चों की उपस्थिति ७८% से अधिक है उन्हें राशि दी जाय, राशि की कमी होने पर पुनः विद्या ये राशि की मांग की जाय। राशि वितरण हेतु बैंक से निकासी करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्र०-०५ - तहसील मीरत युवा क्लब के लिये हेतु आवश्यकता अनुसार राशि निकासी का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्र०-०६ - शौचालय निर्माण की प्रथम किश्त की आवंटित राशि का कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य को पूर्ण करने के लिए विद्या ये राशि मांग करने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव क्र०-०७ - पूर्व से श्री भारोसी से सहे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर तथा मकान बनाने का निर्णय किया। जय शिक्षा समिति की दि०-०९.११.०९ एवं दि०-१४.२.१० की बैंक में लिखा गया था। पुनः समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि क्षतिग्रस्त मकान को तोड़कर तथा नवन शीघ्र बनाने हेतु सर्व शिक्षा में आवंटित दिया जाय तथा इस कार्य को पूरा किया जाय।

<p>Gyanpathi Jha प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय विद्युतीन्द्र बधेपुरा</p>	<p>कुमारी विद्या नाथ विद्यालय शिक्षा समिति मध्य वि०-७७ विद्युतीन्द्र (बधेपुरा)</p>	<p>अध्यक्ष श्री मा देवी विद्यालय शिक्षा समिति मध्य विद्यालय, विद्युतीन्द्र (बधेपुरा)</p>
--	--	--



98

प्रस्ताव क्र०-०५ - वर्ष - 2012-13 में परिष्करण प्रक  
में आवंटित राशि से वर्ष-अन्त के छात्र  
छात्रों को आगलपुर स्थित कुपाधाट का  
परिष्करण कराने का विचार बना। समिति की  
ओर से निर्णय लिया गया कि वर्ष में अच्छे  
प्रदर्शन एवं निश्चित उपस्थिति वाले छात्रों को  
परिष्करण में ले जाते हुए उनके अभिभावकों से  
सहमति प्राप्त किया जाय।

प्रस्ताव क्र०-०५ - विद्यालय में पूरव तथा दक्षिण की तरफ  
के पूर्णतः क्षतिग्रस्त दो कमरे के भवन को तोड़कर  
तय्ये चार कमरे के भवन के निर्माण करने का निर्णय  
पूर्व में विद्यालय शिक्षा समिति के कई बैठकों में  
लिया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान को लिया गया।  
विद्यालय को चार कमरे का भवन आवंटित हुआ  
है। अतः समिति सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि  
पुराने भवन को तोड़कर पन्द्रह दिनों के अन्दर  
तय्ये भवन का कार्य प्रारम्भ किया जाय। क्षतिग्रस्त  
भवन को तोड़ने में लगभग 75000/- (सौ पचहत्तर  
हजार रुपये) खर्च जो प्राप्त राशि से व्यय किया  
जाय तथा इतनी राशि के बराबर पुराने भवन के  
स्नातक को तय्ये भवन में लगाया जाय।

प्रस्ताव क्र०-०६ - सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि  
सखारी नियमावली के अन्तर्गत तय्ये  
भवन के निर्माण कार्य का पूरा करेंगे। समिति  
प्रधानाध्यापक को हर तरह से सहयोग करेगी।  
प्रधानाध्यापक सचिव की सहयता से विद्यालय  
विकास कोष से भवन निर्माण प्रक की राशि

(3)

प्रस्ताव क्र०-०५ - प्रकल्प शिक्षा पदाधिकारी विभाग  
के कार्यांक-374 दि०-20 सितम्बर 2012 का  
अवलोकन किया गया जो विद्यालय के पुस्तक  
जर्जर क्षतिग्रस्त बन को तोड़कर नये बन  
बनाने के लक्ष्य में। विद्यालय के पुस्तकालय  
को ढीका तथा छत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त  
था। इसको तोड़कर नये बन का आवंटन  
प्राप्त कर बनाने के लक्ष्य में पूर्व की समिति  
की कई बैठकों में निर्णय लिया गया था।  
बन में विभागीय पदाधिकारी के मौखिक आदेश-  
नुसार परत चालू कार्य कई वर्षों से बन्द था।  
इसलिए विद्यालय के दिन में वर्तमान तदर्थ वि०  
शिक्षा समिति की दि०-21.10.2011 की बैठक में  
सर्वसम्मति से निर्णय लेकर क्षतिग्रस्त बन को  
तोड़कर नये चार कमरे का आवंटित बन बनाने  
का निर्णय ली है तथा लक्ष्य-लीमा के अन्तर्गत  
निर्माण के कार्य को पूर्ण करना है।

प्रस्ताव क्र०-05 - श्री मनोज कुमार, एम.एडि, म० वि०  
मोहम्मद चौगुल का पदस्थापन, जिला कार्यक्रम  
पदाधिकारी (स्थापना) मधुपुरा के कार्यांक-186 दि०  
31.08.2012 के आदेशानुसार म० वि० बिहारिगंज  
में स्नातक अभिहित के रिक्त पद पर हुआ है  
तथा ये प्रकल्प शिक्षा पदाधिकारी, बिहारिगंज के  
कार्यांक-370 दि०-20.09.2012 के आदेशानुसार  
म० वि० बिहारिगंज में चौगुल हेतु दि० 20.09.12  
के अधिसूचना से निर्दिष्ट किये गये हैं। विद्यालय  
में विज्ञान स्थापना का पद रिक्त है समिति सर्वसम्मति  
से निर्णय ली है कि विभागीय आदेश का अनुपालन